[2020] 9 एस. सी. आर. 21

/

सतीश @सब्बे

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2019 का सं. 7369) 30 सितंबर, 2020

/

[एन**.** वी**.** रमना**,** सूर्या कान्ट और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे।**]**

उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिनियम, 1938 पर कैदियों की रिहाईःएस. 2-पूर्व-परिपक्व रिलीज-पात्रता-मानदंड-आयोजितःसजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता पूर्व-परिपक्व रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है-पहली बार अपराध करने वालों को उदारता से एक मौका दिया जाना चाहिए-रिहाई के बाद अपराध करने की प्रवृत्ति के बारे में कोई भी मूल्यांकन पूर्ववृत्तियों के साथ-साथ जेल में कैदियों के आचरण पर आधारित होना चाहिए न कि उनकी उम्र या पीड़ितों और गवाहों की आशंकाओं पर-वर्तमान मामले में (i) पूर्ववृत्तियों का तीन-कारक मूल्यांकन (ii) कारावास के दौरान आचरण और (iii) अपराध से दूर रहने की संभावना को पूरी तरह से मंजूरी दी गई है-कैदियों को एस के संदर्भ में परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।2, उनके निरंतर अच्छे आचरण के अधीन-राज्य शर्तों को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा-भविष्य में किसी भी कदाचार या उल्लंघन की स्थिति में पूर्व-परिपक्व रिहाई के आदेश को वापस लिया जा सकता है।

/

/

/

सजा/सजाः

सुधारात्मक सिद्धांत-एक सभ्य समाज को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण और प्रतिशोध के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है-पहली बार अपराध करने वालों को अपने अतीत का पश्चाताप करने और उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने का मौका दिया जाना चाहिए।

/

विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा:**1.** हालांकि यह सच है कि समाज को शांतिपूर्ण और निडर जीवन जीने का अधिकार है, बिना स्वतंत्र रूप से घूमने वाले अपराधियों के जो आम शांतिप्रिय नागरिकों के जीवन में तबाही मचा रहे हैं।लेकिन सुधारवादी सिद्धांत की नींव भी उतनी ही मजबूत है जो इस बात का प्रतिपादन करती है कि एक सभ्य समाज को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण और प्रतिशोध के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय सार्वजनिक सद्भाव, भाईचारे और आपसी स्वीकार्यता को बनाए रखना चाहिए।

/

/

21 ए.

22 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस. सी. आर.

प्रोत्साहित किया जाए।इस प्रकार, पहली बार अपराध करने वालों को उदारतापूर्वक अपने अतीत का पश्चाताप करने और उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने का मौका दिया जाना चाहिए। **[**पैरा **13] [28-**डी**-**ई**]**

मारू राम बनाम भारत संघ **(1981) 1** एस**.** सी**.** सी**. 107:**

[1981] 1 एस**.** सी**.** आर**. 1196-**पर निर्भर था।

/

2. भारत का संविधान अनुच्छेद **72** और **161** के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को दोषियों की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की अनुमति देकर इन सुधारात्मक सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है।इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **432** रिहाई के लिए प्रक्रिया और पूर्व शर्तों को निर्धारित करके ऐसी शक्तियों को सुव्यवस्थित करती है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **433-**ए के अंतर्गत एकमात्र प्रतिबंध आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्तियों की तब तक रिहाई के खिलाफ है जब तक कि वे अपनी वास्तविक सजा के कम से कम चौदह साल पूरे नहीं कर लेते।यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, **1938** भी उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर प्रोबेशन पर रिहा करने के लिए ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।**[**पारस **14** और **15] [28-**एफ**-**जी**]**

/

/

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी दोषी विधि के रूप में माफी का दावा नहीं कर सकता है।हालांकि**,** वर्तमान मामले में परिस्थितियां अलग हैं।इस न्यायालय द्वारा बार**-**बार आदेशों के माध्यम से जो माँगा और निर्देशित किया गया था**,** वह समय से पहले रिहाई नहीं थी**,** बल्कि समय से पहले रिहाई के संबंध में मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण निर्णय था।एक बार उपयुक्त विधायिका द्वारा एक विधि बनाए जाने के बाद**,** कार्यकारी अधिकारियों के लिए अपने जनादेश को गुप्त रूप से नष्ट करने का अधिकार नहीं है।जहां अधिकारी न्यायिक निर्देशों के बावजूद अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल पाए जाते हैं**,** तो यह संवैधानिक न्यायालय के लिए अनुचित नहीं होगा कि वह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह के कार्य को अपने ऊपर ले और अनिवार्य रिट के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुपालन करे।**[**पैरा **16] [29-**डी**-**एफ**]**

/

/

/

स्वामी सहरददानदा बनाम कर्नाटक राज्य **(2008) 13**

एससीसी **767:[2008] 11** एस**.** सी**.** आर**. 93-**पर निर्भर।

4. वर्तमान मामले में**,** उत्तर प्रदेश कैदी ए की धारा **2** के अंतर्गत **(i)** पूर्वजों **(ii)** कारावास के दौरान आचरण और **(iii)** अपराध से दूर रहने की संभावना का तीन**-**कारक मूल्यांकन किया गया है।

/

23

सतीश @सब्बे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

परिवीक्षा अधिनियम**, 1938** पर रिलीज को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है।ये इनकार तथ्यों या साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं**,** और राज्य अधिकारियों की अस्पष्ट**,** सरसरी और केवल अप्रमाणित राय हैं।**[**पैरा **17] [29-**जी**; 30-**ए**]**

5. सजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता समय से पहले रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।रिहाई पर अपराध करने की प्रवृत्ति के संबंध में कोई भी मूल्यांकन जेल में कैदी के पूर्ववृत्त के साथ**-**साथ उसके आचरण पर आधारित होना चाहिए**,** न कि केवल उसकी उम्र या पीड़ितों और गवाहों की आशंकाओं पर।राज्य के अपने शपथपत्र के अनुसार**,** दोनों याचिकाकर्ताओं का आचरण संतोषजनक से अधिक रहा है।उनकी कोई भौतिक आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है**,** और उन्होंने लगभग **16** साल जेल में बिताए हैं **(**छूट सहित **22**

साल**)**।हालाँकि उनकी आयु लगभग **54** और **43** वर्ष है**,** फिर भी उनके पास जीवन के पर्याप्त वर्ष शेष हैं**,** लेकिन यह साबित नहीं करता है कि वे अपराध करने की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद**,** प्रतिवादी**-**राज्य की उम्र पर बार**-**बार और घुमावदार निर्भरता छूट और परिवीक्षा के उद्देश्य को विफल करने के अलावा कुछ नहीं करती है।**[**पैरा **18] [31-**बी**-**सी**]**

/

/

/

ज़ाहिद हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2001) 3** एससीसी

750 :[2001] 2 एस. सी. आर. 442; शोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 626; मुन्ना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020 के डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) 4 में दिनांकित 21.08.2020 आदेश)-पर भरोसा किया गया।

/

6. अपीलार्थी के अपराध को देखते हुए और उनकी उम्र को देखते हुए**,** उनके मामले को सकारात्मक के चश्मे से देखा जाना चाहिए।वे समाज के साथ फिर से जुड़ने की क्षमता बनाए रखते हैं और शांतिपूर्ण**,** अनुशासित और सामान्य मानव जीवन जीने में कई साल बिता सकते हैं।इस तरह की आशावादी अपेक्षा जेल में उनके आचरण से और अधिक ठोस हो जाती है।**[**पैरा **20] [31-**बी**-**सी**]**

/

7. वर्तमान मामले में**,** यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग दो दशकों की कैद कैसे बिताई है और इस प्रकार अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े हैं**;** याचिकाकर्ताओं को उनके निरंतर अच्छे आचरण के अधीन सशर्त समय से पहले रिहाई देकर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।यह दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि

/

/

याचिकाकर्ताओं को कम नहीं किया गया है**,** न ही समाज के लिए कोई खतरा बढ़ा है।यह कहना पर्याप्त है कि यह आदेश अपरिवर्तनीय नहीं है और याचिकाकर्ताओं द्वारा भविष्य में किसी भी कदाचार या उल्लंघन की स्थिति में हमेशा वापस लिया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं को

परिवीक्षा अधिनियम**, 1938** की धारा **2** के अनुसार परिवीक्षा पर रिहा किया जाए।प्रत्यर्थी**-**राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिए शर्तें लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा जो वह उचित समझे।**[**पारस **21** और **22] [31-**ई**-**जी**]**

/

संदर्भित निर्णय

[1981] 1 एससीआर **1196**

पर विश्वास किया

पैरा **13**

/

[2008] 11 एससीआर **93**

पर विश्वास किया

पैरा **16**

[2001] 2 एससीआर **442**

पर विश्वास किया

पैरा **18**

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2019 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 7369

/

2005 की आपराधिक अपील संख्या 99 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.04.2017 के निर्णय और आदेश से।

सह

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2019 की संख्या 8326

विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., तल्हा अब्दुल रहमान, कुशाग्र पांडे, मोहम्मद।शाज खान, उदित अतुल कोंकणथांकर, रोहित कुमार सिंह, सर्वेश सिंह बघेल, बी. एन. दुबे, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री शिवरंजनी रालावत, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

सूर्या कान्ट, जे।

1. ये याचिकाएं, जिनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी, सतीश और विक्की उर्फ विकेंद्र उर्फ विरेंद्र द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित एक सामान्य आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग की गई है, जिसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद, "आईपीसी") की धारा 364-ए के अंतर्गत दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील और परिणामस्वरूप आजीवन कारावास की सजा को खारिज कर दिया गया था।

/

तथ्य

2. मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि 12.06.2002 की शाम को, जब एक विशाल सरावत (पीड़ित) ए.

/

/

सतीश @सब्बे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

एक दोस्त से मिलने पर, उसे एक परिचित-रामवीर राणा ने रोका, जिसने उससे उसके घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी।बे सन्देह पीड़ित रामवीर के घर में घुस गया जहाँ उसे पिस्तौल से धमकी दी गई और वर्तमान याचिकाकर्ताओं और एक अशोक द्वारा जबरन गोलियाँ पिलाई गईं।बाद में विशाल को 2 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग करते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया गया।इस बीच, पीड़ित के पिता-नेपाल सिंह (शिकायतकर्ता) ने अपने बेटे के बारे में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।विक्की ने 'शेखर' होने का नाटक करते हुए पीड़ित के पिता को 10.07.2002 पर फोन किया।उसने उसे मध्यस्थ के रूप में रामवीर की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे पुलिस से संपर्क करने के खिलाफ आगाह किया। पत्राचार की एक श्रृंखला के बाद, फिरौती के लिए 32 लाख रुपये पर फिर से बातचीत की गई, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा 14.07.2002 पर रामवीर के घर लाया गया था।दोनों याचिकाकर्ता घर में मौजूद थे, जिसमें विक्की ने फिरौती की राशि गिन ली थी।यह आश्वासन देने पर कि उसके बेटे को उस शाम तक सुरक्षित रूप से घर वापस भेज दिया जाएगा, शिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी दी जिसने तुरंत घर पर छापा मारा।रामवीर को गिरफ्तार कर लिया गया, विशाल को बचा लिया गया और रु। 31.70 लाख बरामद किए गए।हालांकि पुलिस ने उन्हें रामवीर और विशाल (पीड़ित) से बात करते हुए देखा; अशोक, सतीश और विक्की मौके से भागने में कामयाब रहे।हालाँकि, बाद में उन्हें 16.07.2002 पर गिरफ्तार कर लिया गया और फिरौती के लिए

अपहरण के अपराध का आरोप लगाया गया।3. जाँच के बाद न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-I, ग़ाज़ियाबाद को सौंप दिया गया।अभियोजन पक्ष की ओर से ग्यारह गवाहों ने गवाही दी, जिसमें पीड़ित, शिकायतकर्ता, राहगीर और विभिन्न पुलिस अधिकारी शामिल थे।इसके अलावा, एक गवाह को स्वयं न्यायालय द्वारा बुलाया गया था।आपत्तिजनक आवाज रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल अभिलेख , फिरौती की राशि जब्त की गई और विक्की के कहने पर बरामद एक रिवॉल्वर को भी रिकॉर्ड में लाया गया।अभियुक्त ने सभी आरोपों से इनकार किया और बचाव पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की।

/

/

/

/

/

4. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के भंडार पर भरोसा करते हुए, निचली न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 364-ए के अंतर्गत आरोप सभी अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे साबित हुआ था, और अतिरिक्त रूप से शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अंतर्गत आरोप भी अशोक और विक्की के खिलाफ स्थापित किया गया था।फिरौती के लिए अपहरण के अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये (या उसके बदले में छह महीने की कैद) का जुर्माना लगाया गया था, इसके अलावा विक्की और अशोक को शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दो साल की समवर्ती सजा सुनाई गई थी।

/

/

5. चारों अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की। साक्ष्यों की विस्तृत पुनः सराहना और विभिन्न मामले कानूनों की चर्चा के बाद, उच्च न्यायालय ने तथ्य के रूप में पाया कि फिरौती के लिए अपहरण के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सभी तत्व संदेह से परे साबित हुए हैं।लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण बयान दर्ज करने में विफलता रिवॉल्वर की बरामदगी को साबित करने में घातक थी।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अपीलों को

खारिज कर दिया और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 364-ए के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की, लेकिन शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया।

/

वर्तमान प्रक्रियाएँ

/

6. पीड़ित याचिकाकर्ताओं, विक्की और सतीश ने हमारे सामने अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर काफी देर तक सुनवाई हुई है।06.09.2019 पर, इस न्यायालय ने अपहरण के लिए उनकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से मौन रूप से इनकार कर दिया, और तदनुसार अपील करने की अनुमति देने से परहेज किया।हालांकि, प्रतिवादी-राज्य को सीमित नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।उपरोक्त आदेश इस प्रकार हैः

/

“उत्तर प्रदेश राज्य को यह जानने के लिए सीमित नोटिस जारी किया जाए कि क्या याचिकाकर्ता जेल नियमावली के अनुसार जेल से समय से पहले रिहाई का हकदार है।

/

7. परिणामस्वरूप प्रतिवादी-राज्य द्वारा 18.12.2019 पर अलग-अलग जवाबी-हलफनामे दायर किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा 2 के अंतर्गत समय से पहले रिहाई के लिए सतीश का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन था; जबकि विक्की के प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा 26.02.2018 पर विधिवत विचार किया गया और उसे खारिज कर दिया गया।

/

8. फिर भी, याचिकाकर्ताओं द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए उनकी प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए लंबी अवधि के कारावास और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उनके वकीलों द्वारा उजागर किया गया है, इस न्यायालय ने 08.06.2020 पर समय से पहले रिहाई के लिए उनके मामलों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया और निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

/

“पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील को विशेष अनुमति ए में याचिकाकर्ता (सतीश @सब्बे) के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं।

/

-

सतीश @सब्बे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [सूर्या कांत, जे.] ए.

याचिका (सीआरएल) 2019 का No.7369, जिसे राज्य के समक्ष लंबित बताया गया है, और विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) में याचिकाकर्ता (विक्की उर्फ विकेंद्र उर्फ विरेंद्र) का मामला भी। 2019 का No.8326, जिसे पहले उक्त राज्य द्वारा खारिज कर दिया गया था, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जेल नियमावली के अनुसार उनकी समय से पहले रिहाई के लिए और इस न्यायालय के समक्ष आदेश प्रस्तुत करें। "

/

9. सुनवाई की अगली तारीख को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि प्रतिवादी-राज्य ने बिना किसी विवेक के 29.01.2018 पर किए गए पहले के मूल्यांकन के आधार पर सतीश की समय से पहले रिहाई को खारिज करते हुए 13.07.2020 दिनांकित एक अनुचित आदेश पारित किया था।यह इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ व्यक्तिगत गरिमा की गलत धारणा के उल्लंघन में होने का तर्क दिया गया था।लंबे कारावास और अच्छे आचरण के बावजूद, विक्की के मामले को समय से पहले रिहा करने के लिए सरकारी आदेश दिनांक 29.07.2020 के माध्यम से टालमटोल करने वाले अनुपालन और यांत्रिक अस्वीकृति के इसी तरह के आरोपों को दोहराया गया।इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में अपनी प्रार्थनाओं को सीमित करते हुए, सतीश और विक्की के विद्वान वकीलों ने कुछ निर्णयों का हवाला दिया है, और समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करने वाले आदेशों को स्वीकार करने के लिए अपनी याचिका को साबित करने के लिए विभिन्न छूट दिशानिर्देशों पर भरोसा किया है।

/

/

10. यह देखते हुए कि समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ताओं के मामलों पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश देने वाले पहले के आदेशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया था, इस न्यायालय ने एक बार फिर प्रतिवादी-राज्य को दोनों मामलों पर नए सिरे से विचार करने और एक सप्ताह के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।चूंकि समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को सरकारी आदेश दिनांक 01.09.2020 के

माध्यम से फिर से अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए पक्षों के विद्वान वकील को पूर्व-वर्णित सीमित मुद्दे पर सुना गया है।

/

/

दलों की सामग्री

11. 08.09.2020 पर अंतिम सुनवाई के दौरान, विद्वान राज्य के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवीक्षा बोर्ड ने सतीश के मामले पर नए सिरे से विचार किया है और इस कारण से परिवीक्षा से इनकार कर दिया है कि-पहला, अपराध जघन्य है, दूसरा, याचिकाकर्ता मुश्किल से 53-54 वर्ष पुराना है और अपराध को दोहरा सकता है, तीसरा, सूचना देने वाले को उसकी रिहाई के खिलाफ गंभीर आशंकाएं हैं, और चौथा, सरकारी अधिकारियों ने समाज पर इसके प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उसकी रिहाई पर प्रतिकूल टिप्पणी की है।इसी तरह, विक्की के लिए, उसके आधार पर

/

/

43 वर्ष की आयु, स्वस्थ शारीरिक स्थिति, सूचना देने वाले की आशंका और अपराध की प्रकृति; उसकी दया याचिका की सिफारिश नहीं की गई थी।12. याचिकाकर्ताओं के वकील ने दोनों सरकारी आदेशों में निहित तर्क और कारणों का बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से खंडन किया है।यह तर्क दिया गया था कि हालांकि आक्षेपित आदेश कथित रूप से जेल नियमावली और यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 के अंतर्गत पारित किए गए हैं, लेकिन 'पूर्ववृत्त' और 'जेल में आचरण' के अनिवार्य कारकों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, और इसके बजाय यांत्रिक कार्रवाई को सही ठहराने के लिए विभिन्न बाहरी कारकों पर भरोसा किया गया है।उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य में अपराध करने के लिए उनकी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इस प्रकार यह दिमाग का उपयोग न करने का प्रमाण है।लंबे कारावास, पूर्ववृत्तियों की कमी और जेल में अच्छे आचरण को फिर से याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए अपनी प्रार्थनाओं को घर ले जाने के लिए रेखांकित किया गया।

/

/

विश्लेषण

13. हालांकि यह निस्संदेह सच है कि समाज को शांतिपूर्ण और निडर जीवन जीने का अधिकार है, बिना स्वतंत्र रूप से घूमने वाले अपराधियों के जो आम शांतिप्रिय नागरिकों के जीवन में तबाही मचा रहे हैं।लेकिन सुधारवादी सिद्धांत की नींव भी उतनी ही मजबूत है जो यह बताती है कि एक सभ्य समाज को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण और प्रतिशोध के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय सार्वजनिक सद्भाव, भाईचारे और आपसी स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।इस प्रकार, पहली बार अपराध करने वालों को उदारतापूर्वक अपने अतीत का पश्चाताप करने और उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने का मौका दिया जाना चाहिए।1

/

/

14. भारत का संविधान अनुच्छेद 72 और 161 के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को दोषियों की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की अनुमति देकर इन सुधारात्मक सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है।इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") की धारा 432 रिहाई के लिए प्रक्रिया और पूर्व शर्तों को निर्धारित करके ऐसी शक्तियों को सुव्यवस्थित करती है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के अंतर्गत एकमात्र प्रतिबंध आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्तियों की तब तक रिहाई के खिलाफ है जब तक कि वे अपनी वास्तविक सजा के कम से कम चौदह साल पूरे नहीं कर लेते।

/

/

15. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 भी उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर प्रोबेशन पर रिहा करने के लिए ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।इसकी धारा 2 में कहा गया है किः

/

1 मारू राम बनाम भारत संघ, 1981 (1) एस. सी. सी. 107.

/

“2. शर्तों पर लाइसेंस द्वारा जारी करने की सरकार की शक्ति

उनके द्वारा अधिरोपित-दंड प्रक्रिया संहिता, **1898 (1898** का अधिनियम **5)** की धारा **401** में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां कोई व्यक्ति कारावास की सजा के अंतर्गत जेल में बंद है और यह राज्य को दिखाई देता है।

उसके पूर्ववृत्त और जेल में उसके आचरण से सरकार कि अगर वह जेल से रिहा हो जाता है तो उसके अपराध से दूर रहने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की संभावना है, राज्य

/

सरकार अनुज्ञप्ति द्वारा उसे इस शर्त पर रिहा करने की अनुमति दे सकती है कि उसे किसी सरकारी अधिकारी या कैदी के समान धर्म मानने वाले व्यक्ति, या ऐसी धर्मनिरपेक्ष संस्था या उसी धर्म से संबंधित समाज की देखरेख या अधिकार के अंतर्गत रखा जाए जो कैदी के रूप में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति, संस्था या समाज उसका कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो। "

/

[जोर दिया गया]

/

16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी दोषी विधि के रूप में माफी का दावा नहीं कर सकता है।2 हालांकि, वर्तमान मामले में परिस्थितियां अलग हैं।इस न्यायालय द्वारा बार-बार आदेशों के माध्यम से जो माँगा और निर्देशित किया गया था, वह समय से पहले रिहाई नहीं थी, बल्कि समय से पहले रिहाई के संबंध में मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण निर्णय था।स्पष्ट रूप से, एक बार उपयुक्त विधायिका द्वारा एक विधि बनाए जाने के बाद, कार्यकारी अधिकारियों के लिए अपने जनादेश को गुप्त रूप से नष्ट करने का अधिकार नहीं है।जहां अधिकारी न्यायिक निर्देशों के बावजूद अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल पाए जाते हैं, तो यह संवैधानिक न्यायालय के लिए अनुचित नहीं होगा कि वह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह के कार्य को अपने ऊपर ले और अनिवार्य रिट के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुपालन करे।

/

/

17. सरकारी आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि समय से पहले रिहाई पर वैधानिक आदेश की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।उत्तर प्रदेश परिवीक्षाधीन कैदी रिहाई अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अंतर्गत (i) पूर्वजों (ii) कारावास के दौरान आचरण और (iii) अपराध से दूर रहने की संभावना के तीन-कारक मूल्यांकन को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है।ये इनकार तथ्यों पर आधारित नहीं हैं या

/

2 स्वामी सहरददानदा बनाम कर्नाटक राज्य, (2008) 13 एस. सी. सी. 767।

/

साक्ष्य, और अस्पष्ट, सरसरी, और केवल राज्य अधिकारियों की अप्रमाणित राय हैं।

18. यह कहा जा सकता है कि सजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता समय से पहले रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।रिहाई पर अपराध करने की प्रवृत्ति के संबंध में कोई भी मूल्यांकन जेल में कैदी के पूर्ववृत्त के साथ-साथ उसके आचरण पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल उसकी उम्र या पीड़ितों और गवाहों की आशंकाओं पर।3 राज्य के अपने शपथपत्र के अनुसार, दोनों याचिकाकर्ताओं का आचरण संतोषजनक से अधिक रहा है।उनकी कोई भौतिक आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, और उन्होंने लगभग 16 साल जेल में बिताए हैं (छूट सहित 22 साल)।हालाँकि उनकी आयु लगभग 54 और 43 वर्ष है, फिर भी उनके पास जीवन के पर्याप्त वर्ष शेष हैं, लेकिन यह साबित नहीं करता है कि वे अपराध करने की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं।याचिकाकर्ताओं द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद, प्रतिवादी-राज्य की उम्र पर बार-बार और घुमावदार निर्भरता छूट और परिवीक्षा के उद्देश्य को विफल करने के अलावा कुछ नहीं करती है।

/

/

19. वास्तव में, याचिकाकर्ताओं का मामला पूरी तरह से अनुपात द्वारा कवर किया गया है

/

इस न्यायालय द्वारा शोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **4** में निर्धारित किया गया**,** जिसका बाद में मुन्ना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **5** में अनुसरण किया गया है**,** प्रासंगिक

जिसका उद्धरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

“दिनांक 1 के आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि संयुक्त सचिव, यू. पी. सरकार यू. पी. अधिनियम की धारा 2 की शर्तों पर अपना दिमाग लगाने में विफल रही है। बस।

/

इस तथ्य को दोहराना कि अपराध जघन्य है और ऐसे व्यक्ति की रिहाई से समाज में न्याय प्रणाली के खिलाफ नकारात्मक संदेश जाएगा**,** धारा **2** के कारक हैं।जेल में आचरण को बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट यह पुष्टि करते हुए कि कैदी अपराध करने में "अक्षम" नहीं है**,** यह कहने के समान नहीं है कि वह अपराध से दूर रहने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की संभावना रखता है।

/

जेल से रिहा किया गया।बिना किसी छूट के 29 साल (लगभग) की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को दिनांकित 22.01.2018 के आदेश को चुनौती देने वाली आगे की कार्यवाही के लिए प्रेरित नहीं करना चाहते हैं, जब हम पाते हैं कि

/

3 ज़ाहिद हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2001 (3) एससीसी 750। 4 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 626,6.

5 2020 के डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) 4 में दिनांकित 21.08.2020 आदेश।

/

/

उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 2 पर ध्यान दिए बिना आदेश को यांत्रिक रूप से पारित किया गया है।

[जोर दिया गया]

20. हमें ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं की अपहरण की कार्रवाई और कुछ नहीं बल्कि आसान धन प्राप्त करने का एक काल्पनिक प्रयास था, जिसके लिए उन्होंने जीवन का एक दर्दनाक सबक सीखा है।उनकी उम्र को देखते हुए, उनके मामले को सकारात्मक चश्मे से देखा जाना चाहिए।वे समाज के साथ फिर से जुड़ने की क्षमता बनाए रखते हैं और शांतिपूर्ण, अनुशासित और सामान्य मानव जीवन जीने में कई साल बिता सकते हैं।इस तरह की आशावादी अपेक्षा जेल में उनके आचरण से और अधिक ठोस हो जाती है।अनीता @वर्णिका (विक्की की पत्नी) द्वारा दायर किए गए अतिरिक्त शपथपत्र से पता चलता है कि जेल में कैद के दौरान उन्होंने आठ दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों का अनुसरण किया है, जिसमें (i) इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना, (ii) कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना, (iii) कला स्नातक में डिग्री प्राप्त करना, साथ ही (iv) खाद्य और पोषण, (v) मानवाधिकार, (vi) पर्यावरण अध्ययन में कई प्रमाण पत्र शामिल हैं।विक्की का आचरण कई अन्य कैदियों के लिए आशा और मुक्ति की एक उज्ज्वल रोशनी के रूप में चमकता है।अपनी जड़ों और पारिवारिक दायित्वों के साथ हमारा मानना है कि यह बहुत कम

संभावना है कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई कार्य करेंगे जो उनके पारिवारिक सपनों को चकनाचूर या शर्मिंदा कर सके।21. वर्तमान मामले में, इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग दो दशकों की कैद कैसे बिताई है और इस प्रकार अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े हैं; याचिकाकर्ताओं को उनके निरंतर अच्छे आचरण के अधीन सशर्त समय से पहले रिहाई देकर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।यह दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता में कटौती न हो और न ही समाज के लिए कोई खतरा बढ़े।यह कहना पर्याप्त है कि यह आदेश अपरिवर्तनीय नहीं है और याचिकाकर्ताओं द्वारा भविष्य में किसी भी कदाचार या उल्लंघन की स्थिति में हमेशा वापस लिया जा सकता है।

/

/

/

/

/

निष्कर्ष

22. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटान इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह की अवधि के भीतर परिवीक्षा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के संदर्भ में परिवीक्षा पर रिहा किया जाए।प्रत्यर्थी-राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिए शर्तें लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा जो वह उचित समझे।

/

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

/